महत्वपूर्ण एवं खास

माओवादियों के साथ जवानों की भिड़ंत

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से बड़ी खबर है. यहां अबुझमाड़ में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हो रही है. डीआरजी-एसटीएफ के जवानों ने अबुझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों को कई तरफ से घेर लिया है. खबर है कि एनकाउंटर में 3 नक्सली मारे गए हैं. बस्तर रेंज के आईजी ने कहा कि मुठभेड़ खत्म होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा. गौरतलब है कि 29 अप्रैल को भी सुकमा में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया था. यह एनकाउंटर सलातोंग इलाके में हुआ था. यहां एनकाउंटर उस वक्त हुआ, जब डीआरजी जवान सर्चिंग पर निकले थे. मुठभेड़ में कई नक्सलियों को गोली लगी थी. इसके बाद जवानों ने यहां सर्चिंग बड़ा दी है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में इन दिनों नक्सली मुठभेड़ें बढ़ गई हैं. इन मुठभेड़ों में सबसे बड़ा एनकाउंटर 16 अप्रैल को हुआ था. यह एनकाउंटर कांकेर में हुआ था. सुरक्षाबलों-नक्ललियों के बीच मुठभेड़ में 29 नक्सली ढेर हो गए थे. ये मुठभेड़ इतनी बड़ी थी कि जवानों के लिए अतिरिक्त फोर्स भेजी गई थी. यहां से सुरक्षाबलों को एके-47 सहित बड़ी संख्या में ऑटोमैटिक हथियार बरामद हुए थे. इस दौरान मारे गए नक्सलियों में टॉप नक्सल कमांडर शंकर राव भी मारा गया था. उसके सिर पर 25 लाख रुपये का इनाम था।

एक लाख इनामी महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा (आरएनएस)। एक लाख की इनामी महिला नक्सली ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है. महिला नक्सली सुकमा क्षेत्र में सक्रिय थी और उस पर छत्तीसगढ़ शासन ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था. आत्मसमर्पण करने वाली महिला माओवादी थाना चिंतागुफा क्षेत्र की निवासी है. बता दें कि सुकमा पुलिस पूना नर्कोम अभियान चला रही है. बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार सुरक्षा कैंप लगाए जा रहे हैं. इस अभियान से प्रभावित होकर माओवादी हथियार डाल रहे हैं और हिंसा का रास्ता छोडक़र समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं. महिला माओवादी को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित करने में विशेष आसूचना शाखा सुकमा का विशेष योगदान रहा.

वर्दी की आड़ में गांजा तस्करी का प्रयास, युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे

बिलासपुर-रायपुर (आरएनएस)। जीआरपी की एंटी क्राइम टीम ने एक युवक को 10 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर तस्कर फोर्स के यूनिफार्म पहनकर बैठा था, जिसे देखकर जीआरपी ने पूछताछ की, तब वह खुद को मुंबई के स्पेशल टॉस्क फोर्स का जवान बताने लगा। उसके बैग की तलाशी लेने पर 10 किलो गांजा बरामद हुआ। युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल व जीआरपी के जवान स्टेशन व ट्रेनों में लगातार जांच कर रही है। जांच के दौरान सुरक्षा बल के जवान अवैध हथियार से लेकर शराब व गांजा की तस्करी करने वालों की धरपकड़ कर रहे हैं। इस कड़ी में मंगलवार की रात जवानों ने जोनल स्टेशन की जांच कर रहे थे। तभी प्लेटफार्म नंबर 4-5 पर रायपुर छोर की तरफ़ एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में बैठा मिला। वह फोर्स का यूनिफार्म पहना था। पूछताछ में उसने खुद को मुंबई के स्पेशल टॉस्क फोर्स का जवान बताने लगा और ट्रेन का इंतजार करने की जानकारी दी। उसने बताया कि उसका नाम कल्पेश पाटिल (26) पिता सुरेश गोरख पाटिल है और मुंबई के धुली में रहता है। उसकी गतिविधियों को देखकर जीआरपी की टीम को भरोसा नहीं हुआ कि वह पुलिस फोर्स में है। तब उसके बैग की तलाशी ली गई। जांच के दौरान उसके बैग से 10 किलो गांजा बरामद हुआ।

मंडप के नीचे वर-वधु ने ली मतदान की शपथ

- स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत जनपद पंचायत लैलूंगा में आयोजित हुआ हस्ताक्षर अभियान
- 2 मई को चलेगा 'जानें अपना बूथ' अभियान

रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ एवं नोडल अधिकारी स्वीप जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में लोकसभा निर्वाचन 2024 में जिले में शत-प्रतिशत मतदान करने के लिए स्वीप के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों को लोकतंत्र में एक-एक वोट के महत्व को बताया जा रहा है।

इसी कड़ी में आज विकासखण्ड तमनार के ग्राम-सामारूमा में विवाह के मौके पर मंडप के नीचे वर-वधु ने मतदान की शपथ ली। इस दौरान सीईओ जनपद तमनार वीरेन्द्र राय ने मौके पर नव-दंपत्ति एवं शादी समारोह में शामिल सभी लोगों को 7 मई मंगलवार को शत-प्रतिशत मतदान करने हेतु शपथ दिलाई। उन्होंने मतदान समय की जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान समय निर्धारित किया गया है। इस समयावधि में आकर सभी अवश्य मतदान करें। इसी क्रम में स्वीप अंतर्गत जनपद पंचायत लैलूंगा में 'जाने अपना बूथ' कार्यक्रम एवं हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान लोकतंत्र के महापर्व में सभी नागरिकों को शामिल होने का आव्हान किया गया। नागरिकों को देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने मतदाताओं को बिना किसी प्रलोभन के अपने मताधिकार का उपयोग करने एवं सभी को अपने परिवार, रिश्तेदार एवं पड़ोसियों को मतदान के लिए प्रेरित करने कहा गया। नागरिकों को बताया गया कि लोकतंत्र में मजबूती का आधार सिर्फ मतदान होता है।

2 मई को होगा 'जाने अपना बूथ' कार्यक्रम का आयोजन- कम मतदान वाले 175 केंद्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 'जाने अपना बूथ' कार्यक्रम 02 मई को आयोजित होने जा रहा है। जाने अपना बूथ कार्यक्रम से लोगों को उनके मतदान केंद्र के बारे में अवगत कराने की पहल की जाएगी। बूथ स्तर पर शाम 04 से 07 बजे तक पेंटिंग, क्विज, रंगोली प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से मतदाताओं को मतदान का महत्व और लोकतंत्र में उनके एक वोट की क्या कीमत है, इसके बारे में जागरूक किया जाएगा।

सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में माइक्रो आब्जर्वर का किया गया रेण्डमाईजेशन

रायगढ़। सामान्य प्रेक्षक आईएएस डॉ.अंशज सिंह की उपस्थिति में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने एनआईसी कक्ष में माइक्रो आब्जर्वर्स का द्वितीय रेण्डमाईजेशन किया। इस दौरान जिले के चारों विधानसभाओं के लिए 217 माइक्रो आब्जर्वर्स का विधानसभावार रेण्डमाईजेशन किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर एवं सहायक नोडल अधिकारी ऋतु हेमनानी, डीआईओ सौरभ कुमार, अनुपेन्द्र प्रधान, रवि रश्मि सिंह उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि निर्वाचन प्रक्रिया में माइक्रो आब्जर्वर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सामान्य प्रेक्षक के लिए सहायक की भूमिका निभाते है। मतदान के दौरान प्रत्येक प्रक्रिया एवं क्रियाकलाप पर पैनी नजर रखते है एवं निर्वाचन प्रक्रिया के क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग कर अपना रिपोर्ट आब्जर्वर को सौंपते है।

लोकसभा निर्वाचन-2024

अभ्यर्थी अभय कुमार एक्का को व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में नोटिस जारी

रायगढ़

लोकसभा निर्वाचन-2024 रायगढ़ संसदीय क्षेत्र क्रमांक 02 के निर्दलीय अभ्यर्थी अभय कुमार एक्का को 30 अप्रैल तक व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र दिया गया था। किन्तु उनके अथवा उनके अभिकर्ता द्वारा अभ्यर्थी व्यय पंजी निरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुए। इस संबंध में अभय कुमार एक्का को 3 दिवस के अंदर कारण दर्शित करते हुए अपना स्पष्टीकरण रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-02 रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है, अन्यथा आईपीसी की धारा 171-झ के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर उन्हें प्रदान की गई वाहन अनुमति/अन्य समस्त अनुज्ञा के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं व्यय प्रेक्षक के द्वारा 22 अप्रैल को कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ के सभाकक्ष में सभी अभ्यर्थियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी व्यय पंजी के 3 बार निरीक्षण किए जाने हेतु 25 अप्रैल, 30 अप्रैल तथा 6 मई 2024 का सूचना पत्र दिया गया था, किन्तु अभय कुमार एक्का द्वारा किए गए समस्त व्यय का लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत निर्धारित प्रारूप में रखा जाकर आपके /अभिकर्ता द्वारा द्वितीय निरीक्षण 30 अप्रैल 2024 को अपना अभ्यर्थी का व्यय लेखा प्रस्तुत किया जाना था किन्तु नियत तिथि एवं स्थान पर उनके द्वारा स्वयं या अभिकर्ता द्वारा अभ्यर्थी व्यय पंजी निरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुए।

पुलिस और निर्वाचन जांच टीम को मिली कामयाबी सालर के पास पकड़ाया 18 लाख 48 हजार रूपए

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू के नेतृत्व में और एफएसटी नोडल अधिकारी चंद्रपाल सिंह ठाकुर तथा पुलिस बल के रणनीति से सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 18 लाख 48 हजार रुपए को पकड़ने में सफलता मिली है। इस कार्यवाही में एआरओ सह एसडीएम वासु जैन और सहायक व्यय प्रेक्षक हरि राम पटेल सहित सभी अधिकारी कर्मचारी का सहयोग रहा।

यह घटना मंगलवार 30 अप्रैल की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास सरायपाली से सारंगढ़ रोड के मध्य सालार नाला मोड़ के पास उड़न दस्ता क्रमांक 15 दल प्रभारी भागवत प्रसाद सोनी, वीएसटी दल प्रभारी पुरुषोत्तम भारती, कैमरामैन कृष्णा जायसवाल, शेखर कुर्रे और एफएसटी वीएसटी दल क्रमांक 17 थाना सरसीवा साइबर सेल टीम प्रभारी टीकाराम खटकर के संयुक्त टीम के द्वारा वाहन चेकिंग की। रायपुर से रायगढ़ की ओर जा रही क्रेटा कार नंबर सीजी 13 एवाय 3754 का वाहन चालक जसप्रीत सिंह पिता स्वर्गीय सरबजीत सिंह निवासी रायगढ़ के द्वारा कर चलाया जा रहा था। साथ में रायगढ़ के अरविंद एक्का पिता किस्ताफर एवं सत्येंद्र सिंह भी कार में बैठे थे। जांच के दौरान कैमरामैन और आरक्षक की उपस्थिति में रु.500 का 37 बंडल में कुल राशि 18 लाख 48 हजार रूपए नगद बरामद किया गया। टीम के द्वारा वाहन चालक को पूछताछ करने पर किसी भी प्रकार का दस्तावेज जानकारी उपलब्ध नहीं कर पाया। सीआरपीसी 102 धारा के तहत उक्त राशि को जप्त किया गया। आगे की कार्यवाही में आदर्श आचरण संहिता के दौरान 10 लाख रुपया से अधिक की राशि आयकर विभाग को राशि सौंपा गया है।

नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाला युवक और उसके सहयोगी को खरसिया पुलिस ने किया गिरफ्तार

- आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल जब्त, दोनों आरोपी गए जेल

रायगढ़

खरसिया पुलिस द्वारा गुम नाबालिक मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक और बालिका को भगा ले जाने में सहयोगी रहे आरोपित के रिश्तेदार को संगीत धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक 27 अप्रैल को थाना खरसिया में बालिका के पिता द्वारा उसकी नाबालिक लड़की के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि 24 अप्रैल के शाम लड़की खरसिया जा रही हूं कहकर घर से निकली और वापस नहीं आई। लड़की के परिजनों ने ग्राम कुधरी डभरा के रहने वाले कैलाश रौतिया पर नाबालिक लड़की को भगा ले जाने की शंका जाहिर किए थे। खरसिया पुलिस द्वारा संदेही कैलाश रौतिया पर अप.क्र. 252/2024 धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गुम बालिका और संदेही की पताताजी की गई। 29 अप्रैल को पुलिस ने बालिका को उसके गांव से दस्तयाब कर बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जिसमें बालिका बताई कि पिछले साल रिश्तेदार की शादी में कैलाश रौतिया से जान पहचान हुआ था। दोनों मोबाइल पर बातचीत करते थे। कैलाश रौतिया घर मिलने के बहाने आता था और इसी बीच उसने शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। बालिका बताई कि 24 अप्रैल के दोपहर कैलाश उसके मामा बजरंग रौतिया के मोटर सायकल लेकर घर आया और खरसिया घूम कर आते हैं कहकर उसके मामा बजरंग रौतिया के घर ले गया। उसके मामा बजरंग ने दोनों को पुसौर रिश्तेदार के घर रहने चले जाओ कहकर पुसौर चौंक तक मोटर सायकल में लाकर छोड़ा। जहां कैलाश रौतिया ने शादी का विश्वास देकर शारीरिक संबंध बनाया। थाने में रिपोर्ट होने और पुलिस की खोजबीन की जानकारी पर कैलाश रौतिया गांव में छोड़कर भाग गया था। प्रकरण में धारा 366 ,376 (2)n, 109 आईपीसी एवं 6, 17 पॉक्सो एक्ट की धारा विस्तारित कर खरसिया पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी कैलाश रौतिया (18 साल 8 माह) निवासी ग्राम कुधरी और बजरंग रौतिया पिता जोतराम रौतिया निवासी बानीपाथर खरसिया को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। जहां माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपी और उसके सहयोगी का जेल वारंट जारी करने पर पुलिस ने आरोपियों को जेल दाखिल किया है।

पुलिस अधीक्षक रायगढ़ दिव्यांग कुमार पटेल एवं एसडीओपी खरसिया प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर प्रशिक्षु आईपीएस एवं थाना प्रभारी खरसिया आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में महिला संबंधी अपराध की त्वरित कार्रवाई में उप निरीक्षक ऐनु कुमार देवांगन, आरक्षक विशोप सिंह, हेमलाल सिदार एवं हमराह स्टाफ की विशेष भूमिका रही है।

अवैध बिक्री के लिए शराब ले जा रहे आरोपी से 09 लीटर महुआ शराब जब्त

- अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने चक्रधरनगर पुलिस की कार्यवाई जारी

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर चक्रधरनगर पुलिस की अवैध शराब पर अंकुश लगाने कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज सुबह थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर को लगाये मुखबीर से बालसमुंद के पास एक व्यक्ति को अवैध बिक्री के लिये महुआ शराब लेकर पैदल पहाड़ मंदिर की ओर जाने की सूचना प्राप्त हुई। थाना प्रभारी द्वारा गुम इंसान जांच के लिए क्षेत्र में रवाना हुये स्टाफ को तत्काल बालसमुंद जाकर कार्रवाई का निर्देशित दिया गया। चक्रधरनगर स्टाफ द्वारा बालसमुंद नाला के पास संदेही व्यक्ति को प्लास्टिक बोरा में 10 लीटर क्षमता वाली जरकिन में करीब 09 लीटर महुआ शराब कीमती रु.1,350 के साथ हिरासत में लिया गया। संदेही व्यक्ति पूछताछ में अपना नाम - अख्तर खान पिता स्वर्गीय तहरूददीन खान उम्र 59 वर्ष साकिन - भगवानपुर, बच्छी बस्ती थाना भगवानपुर जिला मेदनीपुर पश्चिम बंगाल हाल मुकाम साहेबराम नगर थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ बताया तथा महुआ शराब बिक्री के लिये लेकर जाना बताया।

आरोपी अख्तर खान से विधिवत अवैध शराब की जप्ती कर आरोपी के कृत्य पर थाना चक्रधरनगर में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है। शराब रेड कार्रवाई में महिला प्रधान आरक्षक विनिता कादयान और आरक्षक कोमल तिवारी शामिल थे।

साइबर सेल और पूंजीपथरा पुलिस की छापेमारी में अवैध शराब बेच रही महिला और युवक गिरफ्तार

- आरोपियों से 43 पाव अंग्रेजी शराब, 8 बीयर और 110 लीटर महुआ शराब जब्त

रायगढ़

दिनांक 30/04/2024 के शाम साइबर सेल और पूंजीपथरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना पूंजीपथरा अंतर्गत चंद्रहासिनी प्लांट के सामने झुग्गी में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से शराब विक्रय की सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया। पुलिस ने मौके पर आरोपी विधीभूषण नंदे उर्फ विक्की पिता सुभेन्द्र नंदे उम्र 34 वर्ष साकिन ग्राम देलारी थाना पूंजीपथरा के कब्जे से 41 पाव अंग्रेजी गोवा शराब एवं 200 पन्नी पाउच महुआ शराब कुल 40 लीटर जप्त किया है।

वहीं ग्राम गेरवानी में चंदा यादव नाम की महिला द्वारा अवैध रूप से शराब विक्रय की सूचना पर रेड कर आरोपिया चंदा यादव पति बोदू राम यादव उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम गेरवानी थाना पूंजीपथरा को हिरासत में लिया गया जिसकी निशानदेही पर उसके कोलाबाड़ी में अवैध बिक्री के लिए रखे 2 नग सिंबा बीयर, 06 नग सिंबा केन बीयर, 02 पाव अंग्रेजी शराब तथा 50 लीटर क्षमता वाली जरकिन में भरा 50 लीटर महुआ शराब एवं 10-10 लीटर क्षमता वाले दो जरकिन में भरा 20 लीटर महुआ शराब बरामद कर गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है। दोनों कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 43 पाव अंग्रेजी शराब, 8 नग बीयर और 110 लीटर महुआ शराब कुल कीमत रु.18,090 का जप्त कर थाना पूंजीपथरा में दोनों आरोपियों पर पृथक-पृथक धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। शराब रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक विनीत तिर्की, अमित तिर्की, आरक्षक अमित नट, निर्दोष लकड़ा, महिला आरक्षक प्रभावित पुष्पा कुजूर एवं साइबर सेल स्टाफ शामिल थे।

निर्वाचन की निष्पक्षता बनाए रखने में माइक्रो आब्जर्वर की भूमिका महत्वपूर्ण -कलेक्टर

- कलेक्टर गोयल ने केंद्रीय विद्यालय में चल रहे माइक्रो आब्जर्वर, मतदान दलों के प्रशिक्षण का किया निरीक्षण

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल आज केंद्रीय विद्यालय में चल रहे माइक्रो आब्जवर्स, मतदान दलों के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। कलेक्टर गोयल ने कहा कि निर्वाचन में निष्पक्षता बनाए रखने में आपका कार्य महत्वपूर्ण होगा। सभी अपने मतदान केंद्रों में होने वाले निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक क्रियाकलापों पर नजर रखते हुए उनका रिपोर्ट तैयार कर सामान्य प्रेक्षक को प्रदान करेंगे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर महेश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे उपस्थित रहे।

कलेक्टर गोयल ने सभी माइक्रो आब्जवर्स को प्रशिक्षण में निर्वाचन की प्रत्येक प्रक्रिया से अवगत होने को कहा ताकि निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इस दौरान उन्होंने मिक्स मतदान दल एवं संगवारी मतदान केंद्र के दल के प्रशिक्षण कक्ष भी पहुंचे। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान दिवस के दिन किए जाने वाले सभी गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर मॉकपोल, सीआरसी, नियत समय पर वास्तविक मतदान प्रारंभ, मतदान समाप्ति घोषणा, क्लोज जैसे प्रत्येक प्रक्रिया को किया जाना अति आवश्यक है। सभी प्रक्रियाओं को सावधानी पूर्वक करेंगे कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन में समय महत्वपूर्ण होता हैं, नियत समय में मतदान प्रारंभ होने से आपका कार्य आसान होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर किसी प्रकार की दिक्कत होने पर उनकी सूचना सेक्टर ऑफिसर को देंगे। इसके साथ ही उन्होंने मतदान दिवस पर तकनीकी, व्यवहारिक दिक्कतों से अवगत करते हुए संयम से कार्य करने हेतु निर्देशित किया।

कलेक्टर गोयल ने कहा कि ग्रीष्म ऋतु के लिहाज से मतदान दलों को मेडिकल किट प्रदान किया जाएगा, साथ ही सभी मतदान दिवस पर पर्याप्त पानी ओआरएस लेते रहें। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा मतदान केद्रों में कूलर की व्यवस्था की जा रही हैं, ताकि कार्य में आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने वाहनों के संबंध में माइक्रो आब्जवर्स को कहा कि मतदान दलों के साथ वाहनों की व्यवस्था की गई है। इस दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने चैलेंज वोट, मशीनों के फिटिंग, रिप्लेस, सीलिंग, मॉक पोल, मतदान समय, टेस्ट वोट, सीआरसी जैसे मतदान प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शंका होने पर तुरंत प्रश्न पूछकर शंका का समाधान करने की बात कही। नायब तहसीलदार हरनंदन बंजारे, जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480